न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **155/2021** दायर दिनाँक **16.07.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गीतादेवी पत्नि माणकचन्द जाति मेघवाल निवासी बावरियों का बास खाटू खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. शेराराम पुत्र लुणाराम जाति नायक निवासी बिंचावा 2. राजुड़ी पत्नि हनुमानाराम जाति मेघवाल निवासी बिंचावा तह0 डीडवाना जिला नागौर 3. झणकारी पत्नि घनश्याम जाति नायक निवासी खाटू खुर्द तह0 डीडवाना जिला नागौर । 4. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री प्रितमसिंह वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **03.12.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा वाकै सरहद बिंचावा, पटवार क्षैत्र बिंचावा, भू–अभि. निरिक्षक क्षैत्र केराप, तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं0 267 रकबा 06 बीघा 04 बिश्वा वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 तक की संयुक्त खातेदारी का अवस्थित है तथा मौके पर पक्षकारान अपने हक हिस्से के अनुसार अलग–अलग रूप बंटवारा हो चूका है। उक्त मौके पर पक्षकारान के मध्य हुआ बंटवारा अनुसूचि ''अ'' के अनुसार है।

यह है कि अनुसूचि ''अ'' नजरी नक्शा में वर्णित अनुसार वादीनी का 1.625 बीघा, प्रतिवादी संख्या 01 शेराराम का 1.95 बीघा, प्रतिवादी संख्या 02 राजूड़ी का 1 बीघा व प्रतिवादी संख्या 03 झणकारी का 1.625 बीघा हक हिस्से व अधिकार तथा अलग–अलग कब्जे का मौके पर पक्षकारान की आपसी सुझबुझ व सहमति से बंटा हुआ है।

प्रार्थना वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार है –

यह है कि बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण अनुसूचि ''अ'' के अनुसार मौजा वाके सरहद बिंचावा, पटवार क्षैत्र बिंचावा, भू–अभि. निरिक्षम क्षैत्र केराप, तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं0 267 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाकर की जाकर बाई मिट्स एवं बाउंडस विधिवत बंटवारा सादर फरमावें।

वादी का वाद द[illegible] उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि [illegible] किया।

पक्षकारान् नज[illegible] चाहते हैं। अतः, बाद विवेचन, [illegible] आदिर किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:09:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम बिंचावा के खेत खसरा सं0 267 रकबा 06 बीघा 04 बिश्वा में वादीनी गीतादेवी के हक हिस्से की भूमि 1.625 बीघा, प्रतिवादी सं0 01 शेराराम के हक हिस्से की भूमि 1.95 बीघा, प्रतिवादी संख्या 02 राजूड़ी के हक हिस्से की भूमि 1 बीघा व प्रतिवादी संख्या 03 झणकारी के हक हिस्से की भूमि 1.625 बीघा की खातेदारी घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा अनुसूचि ''अ'' निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **03.12.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:09:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
इजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **155/2021** दायर दिनाँक **16.07.2021**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गीतादेवी पत्नि माणकचन्द जाति मेघवाल निवासी बावरियों का बास खाटू खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. शेराराम पुत्र लुणाराम जाति नायक निवासी बिंचावा 2. राजुड़ी पत्नि हनुमानाराम जाति मेघवाल निवासी बिंचावा तह0 डीडवाना जिला नागौर 3. झणकारी पत्नि घनश्याम जाति नायक निवासी खाटू खुर्द तह0 डीडवाना जिला नागौर । 4. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **03.12.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री प्रितमसिंह वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम बिंचावा के खेत खसरा सं0 267 रकबा 06 बीघा 04 बिश्वा में वादीनी गीतादेवी के हक हिस्से की भूमि 1.625 बीघा, प्रतिवादी सं0 01 शेराराम के हक हिस्से की भूमि 1.95 बीघा, प्रतिवादी संख्या 02 राजूड़ी के हक हिस्से की भूमि 1 बीघा व प्रतिवादी संख्या 03 झणकारी के हक हिस्से की भूमि 1.625 बीघा की खातेदारी घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज...........–........... मुबलिंग.............–............... बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **03.12.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन ... चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करनी चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:09:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner